# कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

## अल्पकालीन कोटेशन/निविदा आमंत्रण सूचना 11/2016–17

(1) विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा।
(2) मूल्यकथन जमा करने की तिथि एवं समय :– 21.02.2017 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
(3) मूल्यकथन खुलने की तिथि एवं समय :– 21.02.2017 को 3.30 बजे अपराह्न।
(4) मूल्यकथन जमा एवं खुलने का स्थान :– कार्यालय, नगर परिषद गढ़वा।

| कमांक | सामग्री का नाम एवं विशिष्टियां | अदद | अग्रधन की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | पोल माइंड डस्टबीन (150 Ltr x 2 अधिष्ठापन सहित) | 80 | 40000.00 |
| 2 | 1100 लीटर क्षमता (बड़ा डस्टबीन) | 40 | 40000.00 |
| 3 | 8 बीन ट्रायसाईकिल रिक्शा (प्रति बीन क्षमता 30 लीटर) | 25 | 20000.00 |

### नियम एवं शर्तेः–

1. तकनिकी निविदा के लिफाफे में फर्म एवं प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा अग्रधन की राशि, अद्यतन आयकर रिटर्न बिक्री कर रजिस्ट्रेशन एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र, संस्था, कालीसूची में नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, पैन नं0, टीन नं0 तथा ऑडिट रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा तकनिकी बीड रद्द कर दिया जायेगा।
2. डस्टबीन निर्माता कम्पनी का निबंधन DGS&D में होना अनिवार्य है।
3. डस्टबीन निर्माता कम्पनी ISO 9001 : 2008 होना चाहिए।
4. डस्टबीन निर्माता कम्पनी EN/840 सर्टिफाइड होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र देना होगा।
5. सामग्री को CIPET Test Report प्रस्तुत होगा।
6. 8 बीन ट्रायसाईकिल में प्रयोग किये जाने वाले Bucket Injection Moulded तथा Handle Metal का होना चाहिए, प्रत्येक Bucket 30 लीटर क्षमता का होना चाहिए।
7. तकनिकी बिड में कम से कम तीन निविदा/कोटेशन प्राप्त होने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
8. डस्टबीन निर्माता कम्पनी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्रमाणित होना चाहिए, जिसका प्राप्ति सूचना देना होगा।
9. तकनीकी एवं वितिय निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में देना होगा। सामग्री का गारंटी/वारंटी वितिय बीड में देना होगा।
10. कोटेशनदाता को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में दर्ज ना हो।
11. सभी सामग्री का रंगीन कैटलॉग एवं सामग्री का Technical Specification एवं Drawing आवश्यक रूप से देना होगा।
12. सभी सामान का सैम्पल नगर परिषद में उपस्थित करना होगा।
13. डस्टबीन निर्माता कम्पनी का क्षेत्रीय कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना अनिवार्य है।
14. उपलब्ध राशि/आबंटन के आलोक में आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आपूर्ति आदेश में उपरोक्त सामानों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
15. वर्णित निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
16. निविदादाता को इस बात का शपथ देना होगा कि आपूर्ति की जाने वाली सामग्रीयों का मुल्य बाजार दर से अधिक नहीं है।
17. सामग्री आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर नगर परिषद कार्यालय में सही स्थिति में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, इस दौरान सामग्री में किसी भी प्रकार की क्षति या टुट–फुट होने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

4.2.17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा

ज्ञापांक 181 दिनांक 04/02/2017 4/2/17

प्रतिलिपि :– संवाददाता प्रभात खबर एवं सन्मार्ग को न्यूनतम सरकारी दर पर न्यूनतम साइज में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदा0 गढ़वा/कार्यपालक अभियन्ता नगर परिषद गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– D.I.O. NIC गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उपायुक्त गढ़वा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर परिषद गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.2.17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।